### न्यायालय:-प्रतिष्ठा अवस्थी, अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-एक गोहद, जिला-भिण्ड म०प्र०

प्रकरण कमांकः—20 / 15 (मु०दी०) संस्थित दिनांकः—03.05.2010 फाईलिंग नम्बर 230303001002010

- प्रन सिंह उम्र 50 वर्ष
- 2. हुक्म सिंह उम्र 55 वर्ष पुत्रगण कप्तान सिंह परमार
- मृत...... 3. रामनरेश पुत्र भूप सिंह परमार

#### वारिसान द्वाराः-

- 3अ. उमादेवी वेवा पत्नि रामनरेश सिंह परमार उम्र 40 वर्ष
- 3ब. बबलू सिंह उम्र 22 वर्ष
- 3स. टिंकू सिंह उम्र 20 वर्ष पुत्रगण रामनरेश सिंह परमार
- 3द. पूजा कुमारी उम्र 18 वर्ष पुत्री स्व0 रामनरेशसिंह परमार

## मृत...... ४. रामगोपाल पुत्र रामप्रसाद सिकरवार

### वारिसान द्वाराः-

- 4अ. महावीर सिंह पुत्र स्व0 श्री रामगोपाल सिंह सिकरवार उम्र 40 वर्ष समस्त निवासी ग्राम शेरपुर परगना गोहद, जिला भिण्ड म०प्र0
- 5. तोताराम पुत्र कप्तान सिंह उम्र 45 वर्ष
- 6. बहादुर सिंह पुत्र गोविंद सिंह उम्र 44 वर्ष निवासीगण ग्राम शेरपुर तहसील गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

----आवेदकगण

#### <u>बनाम</u>

मृत...... 1. भीकम सिंह पुत्र महाराज सिंह वारिसान द्वारा:—

- 1अ. मुन्ना सिंह पुत्र भीकम सिंह उम्र 50 वर्ष
- 1ब. रामकली पत्नि शिवराम सिंह सिकरवार उम्र—56 वर्ष निवासी गोसपुरा, जिला मुरैना म0प्र0
- 1स. राजौल पत्नि कल्लन सिंह राजावत उम्र 54 वर्ष

निवासी ग्राम खडैयाहार जिला मुरैना म०प्र0

- 2. ारथ सिंह उम्र ४८ वर्ष
- 3. सुखपाल सिंह उम्र 42 वर्ष
- 4. 🔪 रामरतन उम्र ४४ वर्ष
- 5. कोमल सिंह उम्र 37 वर्ष पुत्रगण भीकम सिंह
- भूरे सिंह पुत्र महाराज सिंह उम्र 65 वर्ष
- 7. चिम्मन सिंह उम्र ४४ वर्ष
- 8. बाबू सिंह पुत्रगण भूरे सिंह तोमर उम्र 35 वर्ष निवासीगण ग्राम शेरपुर तहसील गोहद जिला भिण्ड
- 9. म0प्र0शासन द्वारा श्रीमान कलेक्टर भिण्ड म0प्र0 ————अनावेदकगण

आवेदक द्वारा श्री अशोक पचौरी एड०। अनावेदक क01 के वारिसान पूर्व से एकपक्षीय। अनावेदक क02 लगायत 05 द्वारा अधि०श्री जी०एस०गुर्जर उप०। अनावेदक क06 लगायत 8 द्वारा अधि०श्री एन०पी०कांकर उप०। अनावेदक कं09 पूर्व से एकपक्षीय।

## <u>::- आ दे श -::</u> (आज दिनांक 28/07/2017 को घोषित किया)

इस आदेश द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन आदेश 09 नियम 04 सी0पी0सी0 का निराकरण किया जा रहा है।

02. संक्षेप में आवेदन इस प्रकार है कि आवेदक गण ने अनावेदक गण के विरुद्ध व्यवहारवाद कमांक 37/08 प्रस्तुत किया था जिसमें पेशी दिनांक 22.03.10 नियत थी। उक्त वाद में पेरवी तथा पेशी की कार्यवाही पूरनिसंह द्वारा की जाती थी। उक्त वाद में पेशी दिनांक 22.03.10 नियत थी पेशी से दो दिन पूर्व ही पूरनिसंह की मोतीझरा बीमारी से अत्यधिक तबियत खराब हो गयी थी जिस कारण वह पेशी पर उपस्थित नहीं हो सका था एवं चलने फिरने में पूर्णतः असमर्थ हो गया था। अन्य आवेदक गण को भी पेशी की जानकारी नहीं थी क्योंकि आवेदक पूरनिसंह ही पेशी नोट करता था आवेदक पूरनिसंह की तबियत खराब होने से वह चल फिर नहीं सकता था एवं अनपढ़ ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति होने के कारण कानूनी जानकारी नहीं रखता था इस कारण वह अपनी अनुपरिथित की सूचना अपने अभिभाषक को किसी माध्यम से नहीं दे सका था इस कारण उक्त वाद वादी की अनुपरिथित में दिनांक 22.03.10 को अदम पेरवी में न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया था जिसकी जानकारी पूरनिसंह को स्वस्थ होने पर अपने अभिभाषक से संपर्क करने पर हुई थी। तब आवेदक गण की ओर से आदेश पत्रिका दिनांक 22.03.10 की प्रमाणित प्रतिलिपि लेने हेतु दिनांक 13.04.10 को आवेदन प्रस्तुत किया गया था तथा उक्त आदेश पत्रिका

की प्रमाणित प्रतिलिपि आवेदकगण को दिनांक 30.04.10 को प्राप्त हुई थी एवं दिनांक 01.05.10 को कार्यदिवस न होने से तथा दिनांक 02.05.10 को सार्वजिनक अवकाश होने के कारण दिनांक 03.05.10 को आवेदकगण द्वारा उक्त आवेदन प्रस्तुत किया गया था। अतः आवेदकगण का निवेदन है कि उक्त आवेदन को स्वीकार करते हुए व्यवहारवाद कमांक 37/08 इ.दी पूरनिसंह वि0 भीकमिसंह में पारित आदेश दिनांक 22.03.10 को निरस्त करते हुए उक्त वाद पुनः सुनवाई में लिया जावे।

- 03. आवेदकगण द्वारा उक्त आवेदन के साथ परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर यह भी व्यक्त किया गया है कि आवेदकगण द्वारा न्यायालय में व्यवहारवाद क्रमांक 37/08 प्रस्तुत किया गया था जोिक आवेदकगण की अनुपरिथित में दिनांक 22.03.10 को निरस्त हो गया था। स्वस्थ होने के पश्चात आवेदक पूरनिसंह द्वारा दिनांक 13.04.10 को अपने अभिभाषक से संपर्क किया गया था तब उसे व्यवहारवाद क्रमांक 37/08 इ.दी. निरस्त होने की जानकारी मिली थी। उसने दिनांक 13.04.10 को आदेश पत्रिका दिनांक 22.03.10 की प्रतिलिप प्राप्त करने हेतु नकल आवेदन प्रस्तुत किया था एवं उसे दिनांक 30.04.10 को नकल प्राप्त हुई थी तथा दिनांक 01 मई 2010 को कार्यदिवस न होने से एवं 02 मई 2010 को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण उसके द्वारा दिनांक 03 मई 2010 को उक्त आवेदन प्रस्तुत किया गया था। अतः नकल प्राप्त में लगा समय क्षमा किया जाकर उक्त आवेदन स्वीकार किया जावे।
- अनावेदक क्रमांक 2 लगायत 5 द्वारा उक्त आवेदन का खण्डन करते हुए उत्तर आवेदन 04. प्रस्तुत कर व्यक्त किया गया है कि आवेदकगण द्वारा असत्य आधारों पर उक्त आवेदन प्रस्तुत किया गया है। व्यवहारवाद क्रमांक 37 / 08 की जानकारी मात्र पूरन को नहीं थी बल्कि सभी आवेदकगण को थी एंव दिनांक 22.03.10 या उसके पहले अथवा बाद में वादी पूरनिसंह कभी बीमार नहीं रहे थे उन्हें कोई रोग नहीं था। वास्तविकता यह है कि उक्त व्यवहारवाद में वादीगण/आवेदकराण को न्यायालय द्वारा न्यायशुल्क अदा करने का आदेश दिया गया था जिसका उन्होंने जानबुझकर पालन नहीं किया था एवं वह बार-बार पेशियां लेते रहे थे। वादीगण/आवेदकगण ने न्यायशुल्क से बचने के लिए नवीन अभिवचन किए जाने का प्रयत्न किया था जोकि न्यायालय द्वारा सम्यक सुनवाई के पश्चात निरस्त कर दिया गया था एवं वादीगण/आवेदकगण को न्यायशुल्क अदा करने के लिए निर्देशित किया गया था जिसका पालन वादीगण / आवेदकगण द्वारा नहीं किया गया था एवं वादीगण / आवेदकगण अपनी असफलता को छिपाने के लिए जानबूझकर दिनांक 22.03.10 को उपस्थित नहीं हुए थे। वादीगण/आवेदकगण को दिनांक 22.03.10 की पूर्व सूचना थी परन्तु इसके बाद भी वादीगण/आवेदकगण न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए थे। आवेदकर्गण द्वारा जानबुझकर न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग किया गया है। अतः वादीगण / आवेदकगण का आवेदन स्वीकार योग्य नहीं है। उक्त अनावेदकगण द्वारा परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत दिए गए आवेदन का जवाब प्रस्तुत कर व्यक्त किया गया है कि वादीगण / आवेदकगण द्वारा उक्त आवेदन गलत रूप से पेश किया गया है। आवेदकगण द्वारा जानबूझकर न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं किया गया था। अतः उक्त आवेदन निरस्ती योग्य हैं
- 05. अनावेदक क्रमांक 6, 7 एवं 8 द्वारा आवेदकगण के आवेदन का खण्डन करते हुए उत्तर आवेदन प्रस्तुत कर व्यक्त किया गया है कि व्यवहारवाद क्रमांक 37/08 की पैरवी सभी आवेदकगण द्वारा की जाती थी। दिनांक 22.03.10 को पूरनिसंह की तिबयत खराब नहीं थी एवं ना ही वह मोतीझरा के रोग से पीड़ित था। आवेदक पूरनिसंह पेशी पर आया था किन्तु साक्ष्य उपस्थित न होने के

कारण उसने जानबूझकर प्रकरण खारिज कराया था। आवेदकगण द्वारा लापरवाही से न्यायशुल्क के आदेश का पालन न कर प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त कराया गया है। आवेदक पूरनिसंह प्रकरण की पैरवी का पूर्ण ध्यान रखता था एवं यदि वह चाहता तो अपने अभिभाषक के माध्यम से प्रकरण की जानकारी ले सकता था परन्तु आवेदकगण जानबूझकर प्रकरण से अनुपस्थित रहे थे। आवेदकगण एवं उनके अभिभाषक को प्रकरण में पारित आदेश की पूरी जानकारी थी एवं वह समयाविध के अंदर नकल प्राप्त कर आवेदन पेश कर सकते थे किन्तु आवेदकगण द्वारा विलम्ब से नकल आवेदन प्रस्तुत किया गया है एवं उक्त आवेदन समयाविध के अंदर पेश नहीं किया गया है। अतः आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन निरस्ती योग्य है। उक्त अनावेदकगण द्वारा परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के आवेदन का खण्डन करते हुए उत्तर आवेदन प्रस्तुत कर व्यक्त किया गया है कि आवेदकगण को प्रकरण की पूरी जानकारी थी एवं आवेदकगण द्वारा जानबूझकर नकल लेने के लिए विलम्ब से आवेदन प्रस्तुत किया गया था तथा विलम्ब से यह आवेदन प्रस्तुत किया गया है जो निरस्ती योग्य है।

- 06. शेष अनावेदकगण के तामील उपरांत उपस्थित न होने से उनके विरुद्ध प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही की गयी है।
- 07. उपरोक्त अभिवचनों के अवलोकन से इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुये है।
  - क्या आवेदकगण / वादीगण व्यवहारवाद क्0 37ए / 08 में दिनांक 22.03.10 को पर्याप्त कारणो से अनुपसंजात रहे थे ?
  - 2. क्या व्यवहार वाद क्र 37ए/08 पुर्नसंस्थित किये जाने योग्य है ?

# निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण विचारणीय प्रश्न कमांक—1 एवं 2

- 08. साक्ष्य की पृनरावृत्ति को रोकने के लिये दोनो विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
- 09. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में आवेदक / वादी पूरनिसंह परमार आ0सा01 द्वारा अपने शपथपत्र में यह अभिवचिनत किया गया है कि उसने एवं उसके भाई हुकुमिसंह, चचेरे भाई रामनरेश, रामगोपाल, हरनारायणिसंह, तोताराम, बहादुरिसंह ने एक व्यवहारवाद न्यायालय में प्रस्तुत किया था जिसमें पैरवी करने के लिए उसे अधिकृत किया गाय था वह ही प्रत्येक पेशी पर अपने वकील साहब के पास प्रकरण की कार्यवाही के लिए आता जाता था। उक्त व्यवहारवाद में पेशी दिनांक 22.03.10 नियत थी जिसकी जानकारी उसके अलावा अन्य वादीगण को नहीं थी। उक्त तारीख पेशी के दो दिवस पूर्व मोतीझरा बुखार से उसकी तिबयत खराब हो गयी थी जिस कारण वह नियत पेशी दिनांक 22.03.10 को प्रकरण में उपस्थित नहीं हो सका था और ना ही अपने वकील साहब से संपर्क कर सका था एंव वकील साहब को पैरवी की सूचना भी नहीं दे सका था। उसके पास फोन एवं मोबाइल फोन भी नहीं है। मोतीझरा बुखार से तिबयत बिगड़ जाने के कारण वह चलने फिरने में असमर्थ हो गया था एवं उक्त मजबूरी के कारण वह तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं हो सका था। बुखार ठीक होने पर उसने अपने वकील साहब से प्रकरण के बारे में संपर्क किया था तब उसे अनुपिश्यित के कारण प्रकरण निरस्त होने

की जानकारी हुई थी उक्त दिनांक को ही उसने आदेश की नकल लेने का आवेदन पेश किया था जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने पर उसने पुनः प्रकरण को सुनवाई में लेने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। आवेदक / वादी पूरनिसंह आ0सा01 द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रकरण क्रमांक 37 / 08 में पारित आदेश दिनांक 22.03.10 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र0पी—1 भी प्रकरण में प्रस्तुत की गयी है।

- 10. प्रतिपरीक्षण के पद कमांक 6 में उक्त साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसे बीमारी की हालत में उसके घरवाले अस्पताल ले गये थे। उसके पास मोतीझरा के इलाज का कोई प्रमाण पत्र नहीं है। उसके पास अस्पताल में भर्ती होने व इलाज कराने का भी कोई प्रमाण पत्र नहीं है ना ही दवाई के पर्चे हैं उसने देशी दवाई कराई थी उसका देशी इलाज मातादीन पुजारी ने किया था जो वर्तमान में जीवित है। पद कमांक 7 में उक्त साक्षी का कहना है कि पुराना दावा सात लोगों ने मिलकर पेश किया था सभी लोग पढे लिखे थे एवं सभी लोग पैरवी करने के लिए आते थे। मुकद्दमा चल रहा था इस बात की जानकारी उसके पूरे परिवार को थी फिर कहा उसे अकेले जानकारी हुई। पद कमांक 8 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया हैकि वह अपने वकील साहब से कभी नहीं मिला है फिर कहा करीब एक—डेढ़ महीने बाद मिला था।
- 11. आवेदक साक्षी हुकुमसिंह आ०सा०२ ने भी अपने शपथपत्र में यह व्यक्त किया है कि पूरनसिंह का गोहद न्यायालय में प्रकरण संचालित था जिसमें पूरनसिंह ही पैरवी करते थे उनके भाई एवं अन्य परिवारजन पेशी पर नहीं आते थे। तीन साल पहले पूरनसिंह की मोतीझरा बुखार से अत्यधिक तिबयत खराब हो गयी थी जिस कारण वह करीब एक महीने बीमार रहे थे। प्रतिपरीक्षण के पद कमांक 3 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि पूर्व का दावा सातों वादीगण ने मिलकर किया था एवं सातों वादीगण हर पेशी पर मुकद्दमा लड़ने के लिए आते थे। उसके चाचा पूरनसिंह तीन साल पहले बीमार रहे थे जिसका इलाज पुजारी शर्मा ने किया था जो अभी जीवित हैं। पद कमांक 5 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि वह लोग पूरनसिंह को इलाज के लिए सरकारी डॉक्टर पर नहीं ले गये थे।
- 12. अनावेदक / प्रतिवादी चिम्मनसिंह अना०सा०1 ने वादी / आवेदक पूरनसिंह के अभिवचनों का खण्डन करते हुए शपथपत्र प्रस्तुत कर व्यक्त किया है कि प्र०क० 37 / 08 की पैरवी पूरनसिंह के अलावा अन्य आवेदकगण के द्वारा भी की जाती थी। दिनांक 22.03.10 को पूरनसिंह की तिबयत खराब नहीं थी वह मोतीझरा से पीड़ित नहीं था पूरनसिंह पेशी पर आया था किन्तु पूरनसिंह के साक्षी उपस्थित न होने से उसने प्रकरण को जानबूझकर खारिज कराया था। पूरनसिंह प्रकरण की पैरवी का पूर्ण ज्ञान रखता था। अन्य आवेदकगण भी पढ़ेलिखे हैं जो न्यायालयीन कार्यवाही की जानकारी रखते हैं वे चाहते तो अपने अभिभाषक के माध्यम से प्रकरण में विधिवत पैरवी कर सकते थे परन्तु आवेदकगण जानबूझकर लापरवाहीपूर्वक न्यायालय से अनुपस्थित रहे थे। आवेदकगण द्वारा विलम्ब से यह आवेदन प्रस्तुत किया गया है जो निरस्ती योग्य है। प्रतिपरीक्षण के पद कमांक 3 में उक्त साक्षी ने आवेदक अधिवक्ता के इस सुझाव से इंकार किया है कि पूरनसिंह को पीलिया हो गया था इस कारण पीलिया हो जाने के कारण पूरनसिंह तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं हुआ था।
- 13. तर्क के दोरान आवेदक अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया है कि व्यवहारवाद क0 37ए/08 में दिनांक 22.03.10 को आवेदक मोतीझरा होने के कारण उपस्थित नहीं हो सका था। आवेदक की अनुपस्थित पर्याप्त हेतुक पर आधारित थी। जबिक तर्क के दौरान अनावेदक अधिवक्ता द्वारा व्यक्त

किया गया है कि आवेदक / वादीगण जानबूझकर दिनांक 22.03.10 को व्यवहारवाद क्रमांक 37ए / 08 में अनुपस्थित रहे थे।

- 14. न्यायालय द्वारा उक्त आवेदन से संबंधित मूल प्रकरण व्यवहारवाद क0 37ए/08 पूरनसिंह आदि वि० भीकमसिंह आदि अभिलेखागार से मंगाया गया । मूल प्रकरण का अवलोकन किया गया। यह उल्लेखनीय है कि उक्त आवेदन से संबंधित मूल प्रकरण दिनांक 22.03.10 को वादी/आवेदकगण की अनुपस्थिति में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 09 नियम 8 के अंतर्गत खारिज किया गया था। अतः वादीगण/आवेदकगण को आदेश 9 नियम 9 सी.पी.सी. के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए था परन्तु आवेदकगण/वादीगण द्वारा आदेश 9 नियम 4 सी.पी.सी. के अंतर्गत यह आवेदन प्रस्तुत किया गया है। परन्तु आवेदकगण/वादीगण द्वारा जो सहायता चाही गयी है वह आदेश 9 नियम 9 सी.पी.सी. के अंतर्गत आती है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त आवेदन को आदेश 9 नियम 9 सीपीसी के अंतर्गत प्रस्तुत किया हुआ मानते हुए उक्त आवेदन का निराकरण किया जा रहा है।
- 📈 प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक / वादी पूरनसिंह परमार आ0सा01 यह अभिवचनित किया गया 15. है कि व्यवहारवाद क्रमांक 37ए / 08 में दिनांक 22.03.10 को वह मोतीझरा से पीडित हो जाने के कारण पेशी पर उपस्थित नहीं हो सका था एवं उक्त प्रकरण उसकी अनुपस्थिति में निरस्त हो गया था। आवेदक द्वारा अपने शपथपत्र में यह भी व्यक्त किया गया है कि व्यवहारवाद क्रमांक 37ए/08 उसके एवं उसके भाई ह्क्मसिंह, रामनरेश, रामगोपाल, हरनारायण, तोताराम, एवं बहाद्रसिंह द्वारा सम्मिलित रूप से प्रस्तुत किया गया था पर प्रकरण की कार्यवाही वह अकेले करता था परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि पुराना दावा सात लोगों ने मिलकर पेश किया था तथा सभी लोग पढेलिखे थे एवं सभी लोग पैरवी करने के लिए आते थे इस प्रकार आवेदक के उक्त कथन से यही प्रकट होता है कि व्यवहारवाद क्रमांक 37ए/08 की जानकारी आवेदक/वादी पूरनसिंह के अतिरिक्त सभी आवेदक / वादीगण को थी तथा सभी आवेदक / वादीगण व्यवहारवाद क्रमांक 37ए / 08 के बारे में पूर्ण जानकारी रखते थे। आवेदक / वादी पूरनसिंह आ०सा०१ द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक ७ में यह भी व्यक्त किया गया है कि मुकद्दमे की जानकारी पूरे परिवार को थी इसके तूरंत पश्चात उक्त साक्षी का कहना है कि जानकारी उसे अकेले थी इस प्रकार वादी/आवेदक पुरनसिंह आ0सा01 के कथनों से यह दर्शित है कि उक्त साक्षी अपने परीक्षण के दौरान अपने कथनों पर स्थिर नहीं रहा है एवं उसके द्वारा परीक्षण के दौरान परस्पर विरोधाभासी कथन किए गए हैं जो आवेदक / वादी पूरनसिंह के कथनों की सत्यता को खण्डित कर देते हैं।
- 16. आवेदक / वादी पूरनिसंह आ0सा01 ने अपने आवेदन में यह अभिवचिनत किया है कि वह पेशी दिनांक 22.03.10 के दो दिन पहले से मोतीझरा से पीड़ित हो गया था जिस कारण वह चलने फिरने में असमर्थ हो गया था प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि बीमारी की हालत में उसके घरवाले उसे अस्पताल ले गये थे परन्तु आवेदक पूरनिसंह द्वारा अपनी बीमारी के संबंध में कोई चिकित्सीय प्रमाण अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि उसने मातादीन पुजारी से देशी इलाज करवाया था जोिक वर्तमान में जीवित है परन्तु आवेदक द्वारा मातादीन पुजारी को भी प्रकरण में परीक्षित नहीं कराया गया है। इसके अतिरिक्त अनावेदक चिम्मन अना0सा01 के प्रतिपरीक्षण के दौरान आवेदक अधिवक्ता द्वारा अनावेदक को यह सुझाव दिया गया है कि आवेदक पूरनिसंह पीलिया हो जाने के कारण व्यवहारवाद क्रमांक 37ए/08 में उपस्थित नहीं हो सका था।

इस प्रकार आवेदक पूरनिसंह आ0सा01 द्वारा अपने आवेदन एवं शपथपत्र में यह बताया गया है कि वह मोतीझरा की बीमारी से पीडित होने के कारण व्यवहारवाद कमांक 37ए/08 में दिनांक 22.03.10 को उपस्थित नहीं हो सका था जबिक आवेदक की ओर से अनावेदक के प्रतिपरीक्षण के दौरान यह प्रकट किया गया है कि आवेदक दिनांक 22.03.10 को पीलिया से पीड़ित था। आवेदक द्वारा अपनी बीमारी के संबंध में कोई चिकित्सीय प्रमाण भी अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है ना ही मातादीन पुजारी को प्रकरण में परीक्षित कराया गया है। आवेदक/वादीगण द्वारा अपनी अनुपस्थिति के संबंध में भी दो कारण बताये गये हैं जिनसे स्वतः ही यह दर्शित होता है कि आवेदकगण/वादीगण का आवेदन सदभाविक नहीं है।

- 17. आवेदक / वादी पूरनिसंह आ०सा०1 ने अपने आवेदन में यह बताया है कि व्यवहारवाद कमांक 37ए / 08 की जानकारी केवल उसे ही थी एवं अन्य वादीगण प्रकरण की जानकारी नहीं रखते थे परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि सभी सातों वादीगण प्रकरण में पैरवी करने के लिए आते थे। वादी साक्षी अमरिसंह आ०सा०2 ने भी अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह बताया है कि सातों वादीगण हर पेशी पर मुकद्दमा लड़ने के लिए आते थे। इस प्रकार प्रकरण में आई साक्ष्य से यह भी दर्शित होता है कि व्यवहारवाद कमांक 37ए / 08 की जानकारी सभी आवेदकगण / वादीगण को थी अतः आवेदक पूरन आ०सा०1 का यह कहना कि व्यवहारवाद कमांक 37ए / 08 की जानकारी मात्र उसे थी सत्य नहीं है एवं उक्त तथ्य से भी यही प्रकट होता है कि वादीगण / आवेदकगण की अनुपस्थिति सदभाविक नहीं थी।
- 18. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि मूल व्यवहारवाद कमांक 37ए/08 को दिनांक 22.03.10 को वादीगण की अनुपस्थित में खारिज किया गया था एवं वादीगण/आवेदकगण द्वारा दिनांक 03.05.10 को खारिजी को अपास्त कराने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था। वादीगण/आवेदकगण द्वारा विलम्ब को क्षमा करने हेतु परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत आवेदन भी मूल आवेदन के साथ प्रस्तुत किया गया है। उक्त आवेदन में वादीगण/आवेदकगण द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि आवेदक पूरनसिंह मोतीझरा से पीड़ित होने के कारण विहित समयावधि में खारिजी को अपास्त कराने के लिए आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सका था परन्तु आवेदक द्वारा उक्त संबंध में कोई चिकित्सीय प्रमाण अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादीगण/आवेदकगण द्वारा खारिजी को अपास्त कराने के लिए यह आवेदन व्यवहारवाद कमांक 37ए/08 के खारिज होने के एक माह पश्चात पेश किया गया है। परिसीमा अधिनियम 1963 की अनुसूची के अनुच्छेद 122 में यह वर्णित है कि यदि उपसंजाति में व्यतिक्रम होने के कारण वाद खारिज किया जाता है तो उक्त वाद को प्रत्यावर्तन कराने के लिए आवेदन खारिज होने की तारीख से तीन दिन के अंदर प्रस्तुत करना चाहिए। यदि वादीगण/आवेदकगण ने आदेश दिए जाने के तीस दिन पश्चात आवेदन प्रस्तुत किया है तो वह आवेदन अवधि बाह्य माना जावेगा।
- 19. प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण/आवेदकगण का व्यवहारवाद क्रमांक 37ए/08 दिनांक 22.03.10 को खारिज किया गया था एवं हस्तगत आवेदन दिनांक 03.05.10 को प्रस्तुत किया गया है। विलम्ब को जा कारण बताया गया है वह भी उचित नहीं है। वादीगण/आवेदकगण द्वारा व्यवहारवाद क्रमांक 37ए/08 में अपनी अनुपस्थिति का जो कारण बताया गया है वह भी सदभाविक नहीं है। ऐसी स्थिति में व्यवहारवाद क्रमांक 37ए/08 पूरनिसंह आदि वि0 भीकमिसंह आदि पुर्नसंस्थित किए जाने योग्य नहीं है। अतः वादीगण/आवेदकगण का आवेदन स्वीकार योग्य नहीं है।

20. फलतः वादीगण/आवेदकगण का आवेदन सदभाविक न होने से एवं अवधि बाह्य होने से निरस्त किया जाता है।

स्थान — गोहद दिनांक — 28/07/17

आदेश आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया। मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही / – (प्रतिष्ठा अवस्थी) अति०व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1, वर्ग–1 गोहद जिला भिण्ड म०प्र० सही / – (प्रतिष्ठा अवस्थी) अति0व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 वर्ग–1 गोहद जिला भिण्ड म०प्र0

WIND PRODUCTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT